



भारत सरकार/Government of India

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग

Ministry of Finance, Department of Revenue

सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त का कार्यालय

Office of the Commissioner of Customs (Preventive)

110 महत्मा गांधी रोड, पूर्वोत्तर क्षेत्र, शिलांग-793001, मेघालय

110 Mahatma Gandhi Road, NER, Shillong - 793001, Meghalaya

फोन/Phone: 0364-2222597/2225325/2229005. फैक्स/Fax: 0364-2223440/2229007. ई-मेल E-mail: cusshg@gmail.com

जन सूचना संख्या- 05/2018

4 सितम्बर, 2018

विषय: दिनांक 08.05.2000 के अधिसूचना सं 57/2000 सीमा शुल्क के तहत मनोनीत एजेंसियों / बैंकों द्वारा निष्पादित बांड के निर्वहन के लिए मानक परिचालन प्रक्रियाएं - संबंधी ।

सभी संबंधित का ध्यान डीजीईपी, सीबीआईसी के परिपत्र सं 25/2018-सीमा शुल्क दिनांक 08.08.2018 को नामित एजेंसियों / बैंकों द्वारा दिनांक 08.05.2000 के अधिसूचना सं 57/2000-सीमा शुल्क के तहत निष्पादित बांड के निर्वहन के लिए मानक ऑपरेटिंग प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए तैयार किया गया है।

2. बोर्ड ने सूचित किया है कि निर्यातक संघों से संदर्भ प्राप्त हुए दिनांक 08.05.2000 के अधिसूचना सं 57/2000 सीमा शुल्क के तहत सोने के लिए आयात सोने के आभूषण / लेखों के निर्यात में नामित एजेंसियों / बैंकों द्वारा निष्पादित बांड जारी करने में विलम्ब हुआ है । तदनुसार, इस मामले की जांच बोर्ड द्वारा की गई थी और फील्ड फॉर्मेशन से प्राप्त रिपोर्टों की पुष्टि हुई है कि वास्तव में विषय बांड में बड़े पैमाने पर लंबित है।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, व्यापार सुविधा के हित में, यह निर्णय लिया गया है कि मानक संचालन प्रक्रिया के बाद अब बांड के शीघ्र निर्वहन के लिए पालन किया जाएगा।

(i) मनोनीत एजेंसियों / बैंकों को इलेक्ट्रॉनिक व्यापार नीति, (2015-20) (एफटीपी) की प्रक्रियाओं की हैंडबुक के पैरा 4.68 के तहत प्रदान किए गए निर्यात के सबूत के रूप में निर्धारित दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान किया जाएगा। ये दस्तावेज हैं (i) शिपिंग बिल की ईपी प्रति, (ii) सीमा शुल्क प्रमाणित चालान, (iii) प्राप्ति / ईबीआरसी का बैंक प्रमाण पत्र।

(ii) निर्धारित दस्तावेज नामित एजेंसियों / बैंकों द्वारा समर्पित ई-मेल का उपयोग कर सीमा शुल्क के सहायक / उप आयुक्त को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए, दस्तावेज cus.shg-meg@nic.in पर सबमिट किए जा सकते हैं, और इसके बाद, उन्हें कार्रवाई के लिए प्रासंगिक ईमेल पते पर अद्येपित किया जाएगा।

(iii) संबंधित अधिकारी यानी सीमा शुल्क के सहायक / उप आयुक्त दस्तावेजों की प्राप्ति के 24 घंटों के भीतर तत्काल इलेक्ट्रॉनिक स्वीकृति जारी करेंगे।

(iv) यदि जमा दस्तावेज अतिरिक्त दस्तावेजों के लिए अधूरे पाए जाते हैं, तो दस्तावेजों की प्राप्ति के 5 दिनों के भीतर नामांकित एजेंसी / बैंकों को लापता / अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने के लिए एक अपूर्णता जापन जारी करेगा ।

(v) निर्धारित दस्तावेजों के अलावा अतिरिक्त दस्तावेज, केवल संबंधित सीमा शुल्क के अपर आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बाद ही मांगे जाएंगे।

(vi) मनोनीत एजेंसियां / बैंक इलेक्ट्रॉनिक रूप से कमी / अतिरिक्त दस्तावेज प्रदान करेंगे जो अपूर्ण ज्ञापन की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत करें हैं।

(vii) निर्धारित दस्तावेजों की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर या अपूर्ण/ अतिरिक्त दस्तावेजों की प्राप्ति, जो भी मामले हो, सीमा शुल्क के सहायक / उप आयुक्त निर्यात के तथ्य की पुष्टि करेंगे। यह सिस्टम के महानिदेशालय के आईसीईएस आवेदन पर प्रासंगिक दस्तावेज देखकर भी किया जा सकता है (ई-संचेत निर्यात पक्ष पर एक बार जाने के बाद चालान उपलब्ध होंगे)।

(VIII) सहायक / उप आयुक्त निर्यात की पुष्टि के 7 दिनों के भीतर नामित एजेंसी / बैंकों के बंधन का निर्वहन करेगा।

4. लंबित बांड के निर्वहन के लिए एक समेकित ड्राइव शुरू की जा सकती है क्योंकि यह देखा जाता है कि बड़ी संख्या में बांड जारी किए गए हैं। लंबित बांड को 2 महीने के भीतर मंजूरी देनी होगी।

5. यदि कोई समस्या हो, तो इस कार्यालय के सूचित करें।

(प्राधिकार- सीबीआईसी, (डीजीइपी) के दिनांक 08.08.2018 के परिपत्र संख्या-25/2018-सीमा शुल्क एफ सं डीजीइपी एवं जे /22/2018/1768-1853 को देखें)



(बंदना देवरी)
आयुक्त

प्रति सूचना हेतु:

1. मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं सीमा शुल्क, शिलांग जोन, शिलांग ।
2. आयुक्त, सीजीएसटी आयुक्तालय ,अगरतला, आइजल, दीमापुर,डिब्रूगढ़, गुवाहाटी,शिलांग, ईटानगर,इम्फाल ।
3. उप आयुक्त/ सहायक आयुक्त सीमा शुल्क प्रभाग अगरतला/ आइजल/धुबरी/दिमापुर/ गुवाहाटी/ इम्फाल/ करीमगंज/ शिलांग ।
बांड्स का निष्पादन के संबंध में रिपोर्ट इस कार्यालय को दिनांक 03.10.2018 तक ई मेल कर दे।
4. उप आयुक्त / सहायक आयुक्त , मोरेह एलसीएस, अगरतला एलसीएस, सुतार्कडी एलसीएस एवं आईसीडी अमिन गाँव ।
बांड्स का निष्पादन के संबंध में रिपोर्ट इस कार्यालय को दिनांक 03.10.2018 तक ई मेल कर दे।
5. अधीक्षक , कंप्यूटर सेल, सीमा शुल्क, शिलांग को इस जन सूचना को वेबसाइट पर अपलोड किया जाए ।
6. गार्ड फाइल ।

वजीम

(वजीम मुस्तफा)
सहायक आयुक्त